बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–मो०–47/15   1596   /कृ0, पटना, दिनांक 22/03/2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।   (*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **वर्ष 2015–16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रू० के अधीन रब्बी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रू० की अनुमति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 1.15 करोड़ के स्वीकृति के अतिरिक्त खरीफ 2015 के अवशेष राशि तथा जिलों से प्रत्यर्पित राशि में से 2,29,350/–रू0 (दो लाख उनतीस हजार तीन सौ पचास) रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 5600 दिनांकः 28.11.2015 के क्रम में खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति एवं रबी मौसम में भूमि में नमी की कमी को दूर करने के लिए रबी 2015–16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 115.00 करोड़ रूपये (एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अतिरिक्त खरीफ 2015 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए आवंटित राशि में से अवशेष राशि तथा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1723 दिनांक 18.12.2015, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 03/आ० प्र० दिनांक 08.01.2016, जिला पदाधिकारी, शिवहर का पत्रांक 07/आ० प्र० दिनांक 09.01.2016, जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 51/आ० प्र० दिनांक 22.01.2016, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–213(कृषि) दिनांक 01.02.2016, जिला पदाधिकारी, सिवान का दिनांक 03.02.2016, जिला पदाधिकारी, किशनगंज का पत्रांक 219 दिनांक 16.02.2016 एवं जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण का पत्रांक 51 दिनांक 23.02.2016 द्वारा – कुल 46,74,825/– (छियालिस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पचीस) रू० प्रत्यर्पित राशि मे से 41,01,100/– रू० (एकतालीस लाख एक हजार एक सौ) के उपरान्त शेष राशि 5,73,725/– (पाँच लाख तिहत्तर हजार सात सौ पचीस) रू० अंतर्गत गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तत्काल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए 2,29,350/–रू0 (दो लाख उनतीस हजार तीन सौ पचास) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सिवान जिला से गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की अधियाचना की गई है। इस प्रकार उपलब्ध राशि को सिवान जिला के अधियाचना के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है :–

राशि : रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	इस राज्यादेश से स्वीकृत राशि
1	सिवान	2,29,350
	कुल	**2,29,350**

यह स्वीकृति पूर्व में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त है। सिवान जिला को पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 146 दिनांक 01.12.2015 के द्वारा 4,03,000/–रू0 के आवंटित राशि के अतिरिक्त स्वीकृत राशि संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी के उपाबंटन के अनुसार संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी एवं व्यय कर सकेंगे।

22/3/16

3. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 5600 दिनांक: 28.11.2015 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं अन्य शर्त्ते यथावत रहेंगी।

4. वर्ष 2015–16 में तत्काल व्यय के लिए स्वीकृत 2,29,350/–रू0 (दो लाख उनतीस हजार तीन सौ पचास) रू० का व्यय मुख्य शीर्ष ''2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या–1–उप शीर्ष 0103– बाढ़, सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड P2401007960147 राज्य योजना स्कीम कोड AGR 56 83 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में उपबंधित कुल– 4.30 करोड़ रूपये (चार करोड़ तीस लाख) से विकलनीय होगा।

5. योजना में मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27.11.2015 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–मो०–47/2015 के पृष्ठ संख्या–42/टि0 पर संधारित है।

6. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मो०–47/2015 के पृ0सं0– 45/टि. पर दिनांक–28.11.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)

निदेशक, प्रशासन–सह–अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1536 /कृ0, पटना, दिनांक 22/03/2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ नगर एवं आवास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1536 /कृ0, पटना, दिनांक 22/03/2016

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1536 /कृ0, पटना, दिनांक 22/03/2016

प्रतिलिपि : मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/ कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।